न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :— 18/2020

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
दलपतसिंह पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी बिंजवाड़िया, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. मोहनलाल पुत्र मंगलाराम 2. श्रीमती पानकी पत्नी मंगलाराम 3. नारायणराम पुत्र किरताराम जातियान जाट निवासीगण बिंजवाड़िया तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :—वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :—**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिंजवाडिया तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 344 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 450 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 451 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 452 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 453 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 454 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 455 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 456 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 457 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 458 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 459 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 460 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 461 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 462 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 463 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 464 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 465 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 466 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 467 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 468 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 480 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 496 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 497 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 498 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 499 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 500 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 501 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 502 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा 29 कुल रकबा 105 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। यह भूमि वादी के पिता मंगलाराम पुत्र किरताराम जी की सयुक्त खातेदारी की थी। मंगलाराम जी के दो पुत्र मोहनल[illegible] त[illegible] दलपतसिह तथा पत्नी पानकीदेवी है। खातेदार मंगलाराम जी का [illegible] हो गया। इस कारण उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:23:52 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी भूमि का वादी के पिता मंगलाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 919 स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलव”ा या त्रुटीव”ा दिलीप कुमार नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम दलपतसिंह है। इसी प्रकार ग्राम बिंजवाड़िया तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 363 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 364 रकबा 134 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 365 रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 166 बीघा 04 बिस्वा स्थित है। यह भूमि वादी के पिता मंगलाराम पुत्र किरताराम जी की सयुक्त खातेदारी की थी। मंगलाराम जी के दो पुत्र मोहनलाल तथा दलपतसिंह तथा पत्नी पानकीदेवी है। खातेदार मंगलाराम जी का देहान्त सन् 2001 में हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी क पिता मंगलाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 947 स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलव”ा या त्रुटीव”ा दिलीप कुमार नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम दलपतसिंह है। वादी को घर में लाड प्यार से दिलीपकुमार पुकारते है और वादी का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम दलपतसिंह लिखा हुआ है। जब वादी के पिता मंगलाराम जी का देहान्त हुआ उस समय फौतेदगी नामान्तरकरण में भूलव”ा या त्रुटीव”ा वादी का नाम दिलीप कुमार लिखवा दिया, जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजो के अनुसार उसका वास्तविक नाम दलपतसिंह है। वादी अभी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैक के समक्ष गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक डायरी, पहचान पत्र, अंकतालिका आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर साहब के समक्ष पे”ा किये, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम दलपतसिंह लिखा हुआ है और जमाबन्दी में दिलीपकुमार लिखा हुआ है, जिस पर बैक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायो जावे। इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड मे अपने दिलीपकुमार के स्थान पर दलपतसिंह नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पे”ा करना पड़ रहा है। वादी दिलीपकुमार एवं दलपतसिंह एक ही व्यक्ति है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा का”त चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पे”ा नही की है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दिलीपकुमार नाम लिख देने से वादी न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकता है। वादी को घर पर लाड़ प्यार से दिलीपकुमार पुकारते है, इस कारण वादी के पिता मंगलाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय भूलव”ा या बीना जानकारी के वादी का नाम दिलीप कुमार दर्ज कर दिया, जबकि वादी के सरकारी दस्तावेज दलपतसिंह नाम से जारी किये हुए है, अतः राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:13:52 IST
Reason: SelfAttested

का नाम गलत अंकित करना एक मानवीय भूल रह गयी, जिसे घोषणा के जरिए दुरूस्त किया जाना आव”यक है।

अन्त में वाद पे”ा कर निवेदन किया कि ग्राम बिजवाड़िया तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 344 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 450 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 451 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 452 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 453 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 454 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 455 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 456 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 457 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 458 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 459 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 460 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 461 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 462 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 463 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 464 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 465 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 466 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 467 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 468 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 480 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 496 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 497 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 498 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 499 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 500 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 501 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 502 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा 29 कुल रकबा 105 बीघा 12 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में दिलीपकुमार पुत्र मंगलाराम के स्थान पर दलपतसिंह पुत्र मंगलाराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम दिलीप कुमार के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर दलपतसिंह का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदे”ा फरमावे। ग्राम बिंजवाड़िया तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 363 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 364 रकबा 134 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 365 रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में दिलीपकुमार पुत्र मंगलाराम के स्थान पर दलपतसिंह पुत्र मंगलाराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम दिलीप कुमार के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर दलपतसिंह का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदे”ा फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब पे”ा किया गया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिजवाड़िया तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 344 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 450 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:13:52 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 451 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 452 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 453 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 454 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 455 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 456 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 457 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 458 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 459 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 460 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 461 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 462 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 463 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 464 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 465 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 466 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 467 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 468 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 480 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 496 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 497 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 498 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 499 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 500 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 501 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 502 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा 29 कुल रकबा 105 बीघा 12 बिस्वा जरूर आयी हुयी है। यह भूमि वादी के पिता मंगलाराम पुत्र किरताराम की सयुक्त खातेदारी की थी। मंगलाराम जी के दो पुत्र मोहनलाल तथा दलपतसिंह तथा पत्नी पानकीदेवी है। ग्राम बिंजवाडिया तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 363 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 364 रकबा 134 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 365 रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा जरूर आयी हुयी है। यह भूमि वादी के पिता मंगलाराम पुत्र किरताराम की सयुक्त खातेदारी की थी। मंगलाराम जी के दो पुत्र मोहनलाल तथा दलपतसिंह तथा पत्नी पानकीदेवी है। वादी को घर में लाड प्यार से दिलीप कुमार पुकारते है और वादी का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम दलपतसिंह लिखा हुआ है। दिलीप कुमार व दलपतसिंह एक ही व्यक्ति है जो मंगलाराम जी का जायन्दा पुत्र है। पद संख्या 4, 6, 7 वादी स्वयं साबित करे। पद संख्या 8 से 10 कानूनी है। पद संख्या 11 प्रार्थना वादी है जो सही होने से स्वीकार है। गाम बिंजवाड़िया तहसील बिलाड़ा की उपरोक्त वर्णित भूमि में

सयुक्त खातेदारी भूमि में वादी का नाम दिलीप कुमार पुत्र मंगलाराम के स्थान पर दलपतसिंह पुत्र मंगलाराम घोषित किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कोई आपति नही है।

अन्त में जवाब पे”ा कर निवेदन किया कि वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने का आदे”ा फरमावे।

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार ने जवाब पे”ा किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि व[illegible] ग्राम बिंजवाड़िया पटवार मंडल बींजवाडिया की चालू जमाबंदी 2073 से 2076 अनुसार खाता सं. 105 के खसरा नम्बर 344, 450, 451,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:13:52 IST
Reason: SelfAttested

452, 455, 456, 458, 459, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 479, 480, 496, 500, 501, 502 कुल रकबा 12.7338 कुल खसरे 20 में दिलीपकुमार पुत्र मंगलराम 1/54 जाति जाट, खाता सं. 106 के खसरा नम्बर 453, 454, 457, 460, 461, 462, 497, 498, 499 कुल खसरे 9 कुल रकबा 4.3525 हैक्टेयर में दिलीपकुमार पुत्र मंगलाराम हिस्सा 1/54 जाति जाट एवं खाता सं. 223 के खसरा नम्बर 363,364,365 कुल खसरे 3 कुल रकबा 26.8912 हैक्टेयर में भी दिलीपकुमार पुत्र मंगलाराम हिस्सा 1/108 जाति जाट सा. देह खातेदार सयुंक्त खातेदारी में दर्ज है जिसकी जमाबंदी संलग्न है। उपरोक्त समस्त खसरान की भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता मंगलाराम पुत्र किरताराम वगैराह की संयुक्त खातेदारी में थी जो खातेदार मंगलाराम के पोत होने पर मोहनलाल, दिलीपकुमार पुत्र मंगलाराम , पानी बेवा मंगलाराम के नाम जरिये विरासत नामा.सं. 919, 947 स्वीकृति दिनांक 05.07.2005, 06.07.2006 द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हुआ है। जो वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है। इस प्रकार दिलीपकुमार पुत्र मंगलाराम का नाम जरिये विरासत नामा. के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपना नाम दिलीपकुमार पुत्र मंगलाराम के स्थान पर दलपतसिंह पुत्र मंगलाराम की दुरस्ती करवाना चाहता है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आव"यकता नही रही। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रद"f 1 अंकतालिका सेकण्ड्री सन् 2008, प्रद"f 2 आधारकार्ड, प्रद"f 3 परिचय पत्र, प्रद"f 4 पैनकार्ड, आदि पे"ा किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम दलपतसिंह दर्ज किया हुआ है, जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 तथा जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में वादी की खातेदारी दिलीपकुमार पुत्र मंगलाराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दलपतसिंह पुत्र मंगलाराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी ने राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने की सहमति प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिंजवाड़िया तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 344 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 450 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 451 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 452 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 453 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 454 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 455 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 456 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 457 रकबा [illegible] बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 458 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 459 रकबा [illegible] बिस्वा, खसरा नम्बर 460 रकबा 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:13:52 IST
Reason: SelfAttested

बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 461 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 462 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 463 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 464 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 465 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 466 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 467 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 468 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 480 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 496 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 497 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 498 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 499 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 500 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 501 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 502 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा तथा ग्राम बिंजवाडिया तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 363 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 364 रकबा 134 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 365 रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में दिलीपकुमार पुत्र मंगलाराम के स्थान पर दलपतसिंह पुत्र मंगलाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल"ुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:13:52 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
दलपतसिंह पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी बिंजवाड़िया, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. मोहनलाल पुत्र मंगलाराम 2. श्रीमती पानकी पत्नी मंगलाराम 3. नारायणराम पुत्र किरताराम जातियान जाट निवासीगण बिंजवाड़िया तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 18 / 2020

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम बिंजवाड़िया तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 344 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 450 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 451 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 452 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 453 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 454 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 455 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 456 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 457 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 458 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 459 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 460 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 461 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 462 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 463 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 464 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 465 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 466 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 467 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 468 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 480 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 496 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 497 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 498 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 499 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 500 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 501 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 502 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा तथा ग्राम बिंजवाडिया तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 363 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 364 रकबा 134 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 365 रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में दिलीपकुमार पुत्र मंगलाराम के स्थान पर दलपतसिंह पुत्र मंगलाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:13:52 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:13:52 IST
Reason: SelfAttested